न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–21/2023–24

प्रथम पक्षः–हेमराज महतो, ग्राम–ईचाक, टोला–नावाटांड, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–प्रदीप कुमार, ग्राम–ईचाक, टोला–नावाटांड़, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदकः–हेमराज महतो, पिता–स्व0 अदु महतो, राजकुमार महतो, पिता–स्व0 कोमल महतो, दोना ग्राम–ईचाक, टोला–नावाटांड़, थाना–सिमरिया (शिला ओ0पी0) जिला–चतरा के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। इसमें द्वितीय पक्ष प्रदीप कुमार, पिता–स्व0 लालमनी महतो, ग्राम–ईचाक, टोला–नावाटांड़, थाना–सिमरिया (शिला ओ0पी0) जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मध्ये रकबा
ईचाक, टोला–नावाटांड़	22	1166	0.88 एकड़	0.24 एकड़

2. इस वाद के क्रम में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को बताया है कि अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा ज्ञापांक–209, दिनांक–15.04.2023 के आदेशानुसार अंचल अमीन सिमरिया के द्वारा मौजा–ईचाक, टोला–नावाटांड़ के अन्तर्गत थाना संख्या–211, खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–1166, कुल रकबा–0.88 एकड, मध्ये रकबा–0.24 एकड़ भूमि का अंचल अमीन शिवनाथ राम द्वारा गलत सीमांकन मापी प्रतिवेदन निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के प्रदीप कुमार के पिता–लालमनी महतो के द्वारा माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के न्यायालय में टाईटल सूट वाद संख्या–05/1973 में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें इन्हें सीड्युल–A की भूमि दी गई थी, जो मौजा–ईचाक, टोला–नावाटांड़ के अन्तर्गत खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–1166, रकबा–0.24 एकड़, प्लॉट संख्या–1166, रकबा–0.30 एकड़, प्लॉट संख्या–1165, रकबा–0.70 एकड़ भूमि लालमन महतो के पिता–गिरधारी महतो को दिया गया था, जबकि प्रथम पक्ष के पूर्वजों को खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–1166, रकबा–0.31½ एकड़ एवं अन्य भूमि सीड्युल–C के माध्यम से प्राप्त है।

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि द्वितीय पक्ष के प्रदीप कुमार के द्वारा प्रथम पक्ष के हक–हिस्से की भूमि को कब्जा करने के प्रयास में है, इसीलिए विवाद उत्पन्न हुई है। प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भू–खण्ड में जो हिस्सा मिला है, वह पूरब से पश्चिम की ओर है, जो माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के टाईटल सूट नं0–05/1973 में पारित आदेश के अनुसार सही है।

5. यह कि वर्त्तमान में जो अंचल अमीन के द्वारा अपने मापी प्रतिवेदन में बताया है कि द्वितीय पक्ष का प्लॉट संख्या–1165 से उत्तर 0.16 एकड़ भूमि, प्लॉट संख्या–1165 से दक्षिण की ओर 0.08 एकड़ भूमि प्रतिवेदित किया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत एवं माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के टाईटल सूट नं0–05/1973 में पारित आदेश के अनुसार नहीं है।

6. यह कि द्वितीय पक्ष के प्रदीप कुमार के आवेदन के आलोक में धारा–144 दं0प्र0स0 का वाद संख्या–29/2023–24 प्रश्नगत भू–खण्ड में लाया गया था, जिसमें द्वितीय पक्ष के पक्ष में दिनांक–29.09.2023 को आदेश पारित किया गया था। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त पारित आदेश को निरस्त करवाने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, जिसका वाद संख्या–क्रीमिनल रिविजन संख्या–78/2023 को माननीय एडीशनल सेशन जज–4, चतरा के न्यायालय से दिनांक–21.08.2024 को अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया द्वारा वाद संख्या–29/2023–24, दिनांक–29.09.2023 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया, जबकि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया के अनुसार प्रथम पक्ष को माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के टाईटल सूट नं0–05/1973 में पारित आदेशानुसार सीड्युल–C की भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

7. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अंचल कार्यालय द्वारा जो मापी किया गया है, उसे निरस्त करते पुनः दूसरे अमीन से मापी करवाते हुए मेरे हक–हिस्से के भूमि वापस कर दी जाय।

8. प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में 1. अंचल अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन की छायाप्रति, 2. माननीय एडीशनल सेशन जज–4, चतरा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न किया है।

9. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन, राजस्व कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के लिखित बहस के माध्यम से कहा है कि अंचल अधिकारी, सिमरिया के आदेश ज्ञापांक–209, दिनांक–15.04.2023 के आदेशानुसार अंचल अमीन सिमरिया के द्वारा मौजा–ईचाक, टोला–नावाटांड के अन्तर्गत थाना संख्या–211, खाता संख्या–22, प्लॉट

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–1166, कुल रकबा–0.88 एकड़, मधे रकबा–0.24 एकड़ भूमि का सीमांकन प्रतिवेदन को गलत बताकर निरस्त करने हेतु जो प्रथम पक्ष द्वारा वाद लाया गया है, जो गलत एवं निराधार है, जिसे तत्काल खारिज करने योग्य है।

10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरिया का आदेश ज्ञापांक–209, दिनांक–15.04.2023 एवं टाईटल सूट नं0–05/1973 में पारित आदेश है, उसी अनुसार दखल–कब्जा में हैं। द्वितीय पक्ष प्लॉट संख्या–1166, रकबा–0.88 एकड़, मधे रकबा–0.24 एकड़ भूमि जो प्लॉट संख्या–1165 से उत्तर–0.16 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1165 से दक्षिण 0.08 एकड़ भूमि दो टूकड़ो में मिलाकर कुल–0.24 एकड़ भूमि प्राप्त है, जिसे अंचल अधिकारी, सिमरिया के आदेशानुसार अंचल अमीन द्वारा 19.04.2023 को सीमांकन कर पत्थर गाड़कर चिन्हित् कर दिया गया है एवं सभी हिस्सेदारों को दिखा भी दिया गया।

11. यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड का सीमांकन प्रथम पक्ष की उपस्थिति में न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया के आदेश पर श्रीमान् अंचल अधिकारी, सिमरिया प्रेषित पत्र पत्रांक–837, दिनांक–08.11.2023 के आलोक में अंचल अधिकारी, सिमरिया एवं थाना प्रभारी, सिमरिया की उपस्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा लोहे की पोल के सपोर्ट से तार की जाली अपने सीमांकित हिस्से वाली भूमि पर लगाया गया।

12. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा धारा–144 दं0प्र0स0 वाद संख्या–29/2023–24 में पारित आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायधीश–4, चतरा के न्यायालय में अपील किया गया, जबकि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया का आदेश टाईटल सूट वांद संख्या–05/1973 में जो आदेश पारित किया गया था, उसी अनुरूप आदेश पारित किया गया था। प्रथम पक्ष के द्वारा रिविजन वाद संख्या–78/2023 श्रीमान् अपर जिला न्यायधीश–4, चतरा के न्यायालय में चलाया गया था, उसमें दिनांक–21.08.2024 को आदेश पारित करते हुए अपने आदेश के पारा–08 में उल्लिखित किया गया है कि ***"I there for, find and hold that both the parties have to follow the decision past in T.P.S. No.-05/1973 and no one has authority to interfere in the said decree"***

13. यह कि माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 का निस्तारण 22.09.1976 को कर दिया गया एवं सभी हिस्सेदारों का आदेश सीड्युल में वर्णित बॉण्ड्री के आलोक में निश्चित कर दी गई थी, जिसमें द्वितीय पक्ष का सीड्युल–A के अनुसार खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–1166, रकबा–0.24 एकड़ भूमि नॉर्थ से साउथ का हिस्सा दिया गया, इसे प्रथम पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन में स्वीकार भी किया गया और इसी के अनुसार द्वितीय पक्ष दखल–कब्जा

Scanned with OKEN Scanner

में है, परन्तु प्रथम पक्ष असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर द्वितीय पक्ष को बेदखल करना चाहते हैं। साथ ही गलत दस्तावेज मन्युपुलेटेड मैप तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

14. यह कि माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 के माध्यम से हक–हकियत का निर्धारण जब समझौते के आधार पर कर दिया गया था एवं उसी अनुसार अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा मापी भी कराई गई, फिर भी प्रथम पक्ष द्वारा सीमांकन वाद लाया गया, वह भी मापी के एक वर्ष बाद वाद सोची–समझी साजिश के तहत् लाया गया, जो तत्काल खारिज करने योग्य है।

15. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 1. माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 की छायाप्रति, 2. अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया के द्वारा वाद संख्या–29/2023–24, दिनांक–29.09.2023 में पारित आदेश की छायाप्रति, 3. मापी प्रतिवेदन की छायाप्रति, 4. अंचल अधिकारी, सिमरिया के आदेश ज्ञापांक–209, दिनांक–15.04.2023 की छायाप्रति, 5. कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया का आदेश ज्ञापांक–837/अनु0, दिनांक–08.11.2023 की छायाप्रति, सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति, ऑनलाईन पंजी–2 की छायाप्रति सलंग्न किया है।

16. यह कि माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 में पारित आदेश के अनुसार प्लॉट संख्या–1166 का सभी पक्षों के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा किया गया था :–

Schedule	Khata No.	Plot No.	Area (In Acre)	Towards
A	22	1166	0.24	North-South
B			0.27	West
C			0.31½	North-East
D			0.02 ½	East
E			0.03	West

वर्त्तमान में प्रश्नगत भू–खण्ड का भौगोलिक स्थिति Schedule के अनुसार नहीं है तथा द्वितीय पक्ष के प्रदीप कुमार के आवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया के आदेशानुसार अंचल अधिकारी, सिमरिया एवं थाना प्रभारी, शिला ओपी के द्वारा Schedule-A की भूमि का मापी कर पत्थर गड़वाया गया था तथा Schedule-B,D,E की भूमि का मापी

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया गया था, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुई, चूँकि प्रश्नगत भू–खण्ड का कुल रकबा–0.88 एकड़ भूमि है, जिसमें कुल पाँच पक्षों के बीच हिस्सेदारी बनता है, जिसका वर्णन माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 में पारित आदेश में भी किया गया है। सिर्फ Schedule-A एवं Schedule-C की भूमि का हीं सीमांकन करने से अन्य Schedule यथा–B,D,E भी इससे प्रभावित होंगें, ऐसे में सिर्फ दो Schedule का सीमांकन कराना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अंचल कार्यालय, सिमरिया के द्वारा भी सिर्फ Schedule-A एवं Schedule-C की भूमि का हीं सीमांकन किया गया था।

17. उक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्षों का हक–हकियत एवं सीमांकन माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 द्वारा आदेश पारित है तथा श्रीमान् अपर जिला न्यायधीश–4, चतरा के न्यायालय में वाद संख्या–78/2023, दिनांक–21.08.2024 में पारित आदेश में भी माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 द्वारा पारित आदेश को हीं मान्य रखा गया था। अतएव अंचल अधिकारी, सिमरिया को निर्देशित किया जाता है कि माननीय द्वितीय एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के द्वारा टाईटल पार्टिशन सूट वाद संख्या–05/1973 में पारित आदेश के अनुसार कुल रकबा–0.88 एकड़ भूमि का सीमांकन अंचल अमीन का टीम गठित करते हुए 30 दिनों के अन्दर सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/01/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

03/01/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2025.02.11 10:48:09 +05:30
Location: 192.168.207.12

Scanned with OKEN Scanner